अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

समाहरणालय, पटना

(जिला सहकारिता शाखा)

Email : patnadco@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना, (बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली) के पदधारको का निर्वाचन आदेश।

सहकारिता निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय पत्रांक फाईल नं०–CEA-12011/349/2025 दिनांक–13-08-2025 (इलेक्शन नं०–95/2025–26) द्वारा अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना, (बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली) के पदधारक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) के निर्वाचन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना को ''निर्वाची पदाधिकारी'' नियुक्त किया गया है। उक्त निर्वाचन ''बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम–2002, (यथासंशोधित–2023)/बहुराज्य सहकारी समिति नियमावली–2002, (यथासंशोधित–2023)'' एवं अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना की उपविधि के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न होगा।

भारत सरकार, (सहकारिता मंत्रालय) के सहकारी निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत CEA-12011/349/2025 दिनांक–13-08-2025 (इलेक्शन नं०–95/2025–26) के अनुसार अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना के पदधारक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) के पद पर निर्वाचन हेतु कार्यक्रम दिनांक–01-01-2026 से 05-01-2026 तक निर्धारित है। पदधारकों के निर्वाचन का विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत् है:–

क्र.सं.	कार्यक्रम का विषय	तिथि	समय	स्थान
1	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा	01.01.2026 (गुरूवार)		समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार। निदेशक मंडल के निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात्।
	i नामांकन का समय	01.01.2026 (गुरूवार)	11.00 बजे पूर्वा० से 12.00 अप०	
	ii नामांकन पत्रों की संवीक्षा		12:00 बजे अप० से 01.00 बजे अप० तक	
	iii नामांकन वापसी		1:00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अप० तक	
	iv उम्मीदवारों की सूची का प्रदर्शन		3.00 बजे अपराह्न	
2	नव गठित बोर्ड की बैठक एवं मान्य नामांकन सूची का प्रकाशन एवं मतदान (यदि आवश्यक हो)	05.01.2026 (सोमवार)	11:00 बजे पूर्वा० से लगातार जारी	समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार।
3	पद धारकों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा	19N पर सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात्।		

उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार '' अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना के पदधारक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष)'' के निर्वाचन से सम्बंधित कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु निर्वाची पदाधिकारी के नामांकन कोषांग का गठन किया जाता है जो निम्नवत है:–

क्र०स०	निर्वाचन का नाम	सहायक निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सम्बद्ध पदाधिकारी/कर्मी का नाम एवं पदनाम
01	अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना के पदधारक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष)	श्री समीर सौरभ, उप विकास आयुक्त, पटना। मो०–9031071726	1. श्री दीपक कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना। 2. श्री हृदय नारायण, मुख्य सहकारिता पदाधिकारी, कार्यालय, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना अंचल, पटना। 3. श्री मधुकर श्रीवास्तव, उ०व०लि०, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना।

नामांकन प्रपत्रों की उपलब्धता – पदधारक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) हेतु नामांकन प्रपत्र अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, हारून नगर, सेक्टर–02, फुलवारीशरीफ, पटना, 801505 में उपलब्ध रहेगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवार उक्त कार्यालय से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

विहित प्रपत्र (फार्म–V) में नामांकन दाखिल किया जायेगा। नामांकन पत्र के साथ शपथ–पत्र (नोटरी से) को भी संलग्न किया जायेगा। सभी प्राप्त नामांकन पत्रों को पंजी में संधारित किया जाएगा। एतदर्थ प्रबंध निदेशक, अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, हारून नगर, सेक्टर–02, फुलवारीशरीफ, पटना, 801505, पंजी एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराएंगे।

नामांकन पत्र पर एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक का हस्ताक्षर/पता एवं मतदाता सूची क्रम संख्या अंकित किया जायेगा। प्रस्तावक/समर्थक/निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम पदधारकों के निर्वाचन हेतु अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।

नामांकन पत्रों की प्राप्ति – अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना के पदधारक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) हेतु योग्य उम्मीदवारों से नामांकन पत्रों को सामान्यतया निर्वाची पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा प्राप्त किया जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी की अनुपस्थिति में नामांकन पत्रों की प्राप्ति हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

नामांकन पत्रों की संवीक्षा समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार में उपर्युक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर की जायेगी।

नाम निर्देशन से सम्बंधित कार्यों/गतिविधियों में निर्वाची पदाधिकारी के सहयोग हेतु संबद्ध पदाधिकारी/कर्मी की कार्य विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0स0	सामान्य गतिविधियाँ
01.	निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी को नामांकन पत्र प्राप्त करने में मदद करना।
02.	नामांकन हेतु विहित प्रपत्र (फार्म–V) तथा उससे सम्बंधित कागजातों की प्राथमिक जाँच में मदद करना।
03.	शपथ पत्र की जाँच
04.	नामांकन पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसका निराकरण में सहयोग करना।
05.	उम्मीदवार का नाम निर्वाचक सूची से मिलान करना।
06.	उम्मीदवार के प्रस्तावक और समर्थक का निर्वाचक सूची में क्रमांक आदि का मिलान करना।
07.	उम्मीदवारों को संवीक्षा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना।
08.	नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों और उनके प्रस्तावक तथा समर्थक का विवरण पंजी में संधारित करना।
09.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा तथा अभ्यर्थिता वापसी में निर्वाची पदाधिकारी को सहयोग करना।
10.	नामांकन पत्र में उम्मीदवार के द्वारा "पद" अंकित किया गया है या नहीं, इसकी जांच करना।

नाम निर्देशन से सम्बन्धी कार्यों के सम्पूर्ण प्रभार में श्री समीर सौरभ, सहायक निर्वाची पदाधिकारी –सह–उप विकास आयुक्त, पटना होंगे, जो कोषांग के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे।

मतदान की प्रक्रिया

भारत सरकार, (सहकारिता मंत्रालय) के सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्गत नं०–CEA-12011/349/2025 दिनांक–13-08-2025 (इलेक्शन नं०–95/2025–26) के अनुसार पदधारक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) का निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक–05-01-2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से मतदान समाप्ति तक समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार में मतदान हेतु स्थापित मतदान केंद्र में सम्पन्न होगा। निदेशक पर्षद के 20 (बीस) निर्वाचित सदस्य होंगे।

मतदान मतपत्र के आधार पर सम्पन्न होगा। दोनो पदों के लिए मतपत्र एक ही मतपेटिका में रखें जाऐंगे। मतपत्र का मुद्रण एवं आवश्यक पेपर सील उपलब्ध कराने का दायित्व जिला सहकारिता पदाधिकारी पटना का होगा। मतपत्र एवं मतदान की प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु निम्नवत होगेः–

01. अलग अलग पदों के लिए प्रयोग किये जाने वाले मतपत्रों के कागज का रंग भी अलग अलग होगा। जिस पर काले रंग की स्याही से विवरण अंकित किया जायेगा।

02. अलग अलग पदों के लिए मतपत्रों का रंग निम्नवत् होगाः–
क. अध्यक्ष – सफेद कागज
ख. उपाध्यक्ष – आसमानी कागज

03. मतदाता उम्मीदवार के नाम के समक्ष क्रॉस (X) का चिन्ह अंकित कर मतदान करेगा। एक से अधिक उम्मीदवार के नाम के समक्ष क्रास (X) करने पर मत पत्र रद्द कर दिया जायेगा तथा (X) के अलावे किसी अन्य प्रकार के चिन्ह् अंकित करने पर मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा।

04. मतदाता के सही पहचान हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना द्वारा निर्गत मूल निर्वाचन प्रमाण–पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र साथ रखेंगे।

मतगणना की प्रक्रिया

सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपर संदर्भित पत्र में दिनांक–05/01/2026 को ही मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात् मतों की गणना भी उसी दिन कराने का निदेश है। उक्त निदेश के आलोक मे दिनांक–05/01/2026 को पूर्वाहन 11:00 बजे से समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना में मतदान संपन्न होने के उपरांत उसी स्थल पर मतों की गणना भी संपन्न करायी जायेगी। मतगणना संपन्न कराने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी –

01. सर्वप्रथम मतपेटिका निर्धारित टेबल पर लाकर सभी अभ्यर्थियों के समक्ष आवश्यक जांच करते हुए खोली जाएगी और दोनो पदों के मतपत्रों को अलग–अलग किया जायेगा।
02. पदवार मतपत्रों को अलग करने के उपरांत उनकी गणना हेतु मतपत्रों का बण्डल संबंधित टेबल पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
03. मतों की गणना हेतु मतगणना टेबल पर गणना कर्मियों द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त कुल मतपत्रों में से वैध और संदेहास्पद चिन्हित मतपत्रों को अलग अलग किया जायेगा।
04. संदेहास्पद चिन्हित किये गये मतपत्रों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उन मतपत्रों को निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर लाया जायेगा, जहाँ निर्वाची पदाधिकारी संदेहास्पद मतपत्रों पर अंतिम निर्णय लेते हुए उसे वैध या अवैध घोषित करेंगे।
05. गणना पटल पर अभ्यर्थीवार मतों की गणना इस हेतु निर्धारित प्रपत्र "क" का प्रयोग किया जायेगा। मतों की गणना का अंकण कर उस पर उस समय उपस्थित अभ्यर्थी/अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर भी प्राप्त किया जायेगा और निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
06. प्रपत्र "क" का समेकन प्रपत्र "ख" (अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की विवरणी) में किया जायेगा।
07. मतों की गणना हेतु निर्धारित सभी प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में पत्र के साथ संलग्न है।

मतदान एवं मतगणना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ निम्नांकित पदाधिकारियों को संबद्ध किया जाता है:–

क्र० स०	पदाधिकारी/कर्मी का नाम	पदनाम और मोबाइल नंबर	अभ्युक्ति
1.	श्री दीपक कुमार,	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना। मो०–8210477892	
2.	श्री हृदय नारायण ,	मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना अंचल, पटना। मो०–8271110105	
3	श्री मधुकर श्रीवास्तव	उच्च वर्गीय लिपिक, कार्यालय–जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना, मो०–94318822212	

विधि–व्यवस्था :– अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि–व्यवस्था द्वारा नाम निर्देशन की तिथि से निर्वाचन समाप्त होने तक स्थल पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु विस्तृत आदेश निर्गत किया जायेगा। विधि व्यवस्था संधारण हेतु प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी का यह

दायित्व होगा कि नामांकन स्थल से 100 मीटर की परिधि के अन्दर केवल नामांकन करने से सम्बंधित व्यक्तियों का ही प्रवेश हो। मतदान की तिथि को समाहरणालय परिसर में केवल मतदाताओं/अभिकर्त्ता का प्रवेश ही अनुमान्य होगा।

<u>वीडियोग्राफी :–</u> नामांकन प्राप्ति हेतु निर्धारित स्थल पर नामांकन निर्देशन से निर्वाचन तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जानी है। प्रबंध निदेशक, अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना द्वारा नाम निर्देशन/मतदान स्थल पर एक अनुभवी वीडियोग्राफर की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी नाम निर्देशन से संम्बंधित सी०डी० राईट कर निर्वाची पदाधिकारी को अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। वीडियोग्राफी से पूर्व समय का मिलान कक्ष की घड़ी से कर लिया जायेगा। वीडियोग्राफी **Time Stamped Video Camera** के माध्यम से किया जायेगा।

मतगणना के उपरान्त सभी मतपत्र गौज लिफाफा में सील करते हुए एक बक्से में सीलकर परिणाम की घोषणा के उपरांत प्रबंध निदेशक, अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना को हस्तगत कराया जाना है। प्रबंध निदेश्क, अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना लिफाफा सीलबंद करने हेतु आवश्यक सामग्री के साथ कर्मी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ हीं परिणाम घोषणा के पूर्व सीलबंद बक्से को कोषागार समाहरणालय, पटना के बज्रगृह में सुरक्षित रखवाना सुनिश्चित करेंगे। परिणाम की घोषणा के उपरांत सीलबंद बक्सा प्रबंध निदेशक, अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना स्वयं प्राप्त करेंगे।

जिलाधिकारी, पटना
–सह–
निर्वाची पदाधिकारी
अल–खैर को–ऑपरेटिव
क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना।

ज्ञापांक –05 **/पटना, दिनांक –**01/01/2026/

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित कर्मी/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पटना –सह– सहायक निर्वाची पदाधिकारी, अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, 9th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi 110029 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना
–सह–
निर्वाची पदाधिकारी
अल–खैर को–ऑपरेटिव क्रेडिट
सोसाईटी लि0, पटना।